कारपोरेट कार्यालय, आरईसी में तराशे हुए ताजा फूलों (फ्रैश कट फ्लॉवर्स) की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)।

निविदा दस्तावेज

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), भारत सरकार का उद्‌यम, दो वर्षों की अवधि के लिए कारपोरेट कार्यालय मे तराशे हुये फूलों की आपूर्ति हेतु, 'सीलबंद बोलियां' आमंत्रित करता है। कार्य-क्षेत्र तथा वस्तुओं की अनुमानित मांग अनुबंध-1 में दी गई है। बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुबंध-2 में दिए गए फॉर्मेट अनुसार भाव-दरों को उद्धृत करें। वस्तुओं की अनुमानित वार्षिक मांग लगभग रूपये 1.5 लाख है।

2. बोलियों को अनुबंध-2 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र अनुसार सीलबंद लिफाफे में, जिसपर 'तराशे हुये ताजा फूलों की आपूर्ति हेतु बोली' लिखा हो, भेजा जाए। बोलियों पर, बोलीदाता फर्म की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हों और उन्हें निम्न पते पर भेजा जाए:-

**श्री ए.के.अरोड़ा,
उप महाप्रबंधक (प्रशासन)
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
<u>नई दिल्ली-110003</u>**

3. सीलबंद बोलियों को आरईसी द्‌वारा 06 जुलाई 2009 को 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा के उपरांत किसी बोली पर, उसकी दरों की परवाह किए बिना, विचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को उसी दिन अर्थात् 06 जुलाई 2009 को 4.00 बजे अपराह्न में उपस्थित बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों के सामने खोला जाएगा।

4. बोली दस्तावेज के साथ रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) संलग्न की जाए। बयाना राशि का भुगतान, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक के रूप में किया जाएगा। ऐसी जमा बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अपेक्षित जमा बयाना राशि के बिना प्राप्त बोली को अमान्य समझा जाएगा तथा उसे आरईसी द्‌वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5. बोली वैधता अवधि के दौरान बोलीदाता द्‌वारा बोली को वापस लेने की स्थिति में जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. सफल बोलीदाता की जमा बयाना राशि को संविदा का कार्य निष्पादन के लिए जमानती राशि के रूप में रखा जाएगा तथा उसे केवल संविदा की समाप्ति उपरांत वापस किया जाएगा।

7. बोली, बोली प्राप्त करने की तारीख से, 4 महीनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

8. <u>दरें एवं मूल्य</u>

8.1 बोलीदाताओं को अनुबंध-2 में दिए गए फॉर्मेट अनुसार दरों को उद्धृत करना चाहिए।

8.2 सभी सांविधिक शुल्क तथा कर (उत्पाद-शुल्क तथा तट कर सहित) तथा आपूर्ति के संबंध में बोलीदाता द्वारा देय अन्य शुल्कों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए। उद्धृत दरें पक्की होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की वैधता के दौरान दरों, मूल्यों अथवा निबंधन में कोई फेरबदल होने पर बयाना की जमा राशि जब्त हो जाएगी।

8.3 पत्रिकाओं, पुस्तकों इत्यादि की आपूर्ति तथा सुपुर्दगी के लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा अथवा अन्य शुल्क आदि देय नहीं होगा। वस्तुओं की सुपुर्दगी आरईसी द्वारा विनिर्दिष्ट स्कोप भवन तथा पालिका भवन में आरईसी के कार्यालय में की जाएगी।

8.4 अन्य कोई प्रस्तावित छूट बिना शर्त होगी।

9. <u>अदायगी की शर्तें</u>

अदायगी बिल प्राप्ति पर तथा आरईसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन के प्रमाणन के उपरांत एक पखवाड़े में मासिक आधार पर की जाएगी।

10. <u>बोलियों का मूल्यांकन</u>

वैध बोलियों को, अनुबंध-1 में इंगित की गई प्रति वस्तु से गुणित अनुमानित प्रमात्रा के अनुसार उद्धृत की गई न्यूनतम दरों के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। इस प्रकार पूर्वाकलित न्यूनतम दरों की पेशकश करने वाले बोलीदाता को कार्य का ठेका दिया जाएगा। एक वैध अनुक्रियाशील बोली कार्य सौंपे जाने के लिए अर्ह होगी। अनुबंध-2 में निर्धारित अर्हता मानदंड पर खरी न उतरने वाली बोलियों को, निम्न दरों के बावजूद अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

11. <u>आपूर्ति में विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी</u>

11.1 संविदा में समय महत्वपूर्ण है। सफल बोलीदाता समय-सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करे तथा सुपुर्दगी सुनिश्चित करे। पूर्ण आपूर्ति अथवा इसके किसी अंश की अनुबंधित तारीख या इससे पहले सुपुर्दगी न कर पाने की स्थिति में, प्रति सप्ताह कुल संविदा मूल्य

के 2 प्रतिशत के बराबर पूर्वाकलित पूर्व-निर्धारित परिनिर्धारित नुकसानी वसूली जाएगी, जो अधिकतम कुल संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत होगी, ।

11.2 यदि निर्धारित समय-सीमा के 10 दिनों के उपरांत तक इस आदेश के अनुपालन में विलंब हुआ तो आरईसी को, उक्त परिनिर्धारित नुकसानी को आरोपित करते हुए इस आदेश को रद्द करने का अधिकार होगा।

12. <u>सुलह/माध्यस्थम्(</u>आर्बिट

12.1 यदि पार्टियों के बीच किसी प्रकार का विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होता है तो पार्टियां उसका समाधान एवं निपटान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से, सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा करेंगी।

12.2 यदि किसी एक पार्टी द्वारा नोटिस दिए जाने के 30 दिनों के अंतर्गत पार्टियां आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान अथवा निपटान करने में असमर्थ रहती हैं तो उक्त विवाद अथवा मतभेद का मामला निपटान के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नियुक्त एकल माध्यस्थक को भेजा जाएगा।

12.3 किसी विवाद अथवा मतभेद तथा/अथवा माध्यस्थम के लिए मामले को भेजे जाने के बावजूद, संविदाकार को संविदा के अंतर्गत कार्य को, अध्यवसायी तथा पेशेवर तरीके से निर्बाधित रूप से करते रहना चाहिए तथा संविदाकार को देय भुगतान माध्यस्थम् की कार्यवाही के कारण से रोका नहीं जाएगा बशर्ते कि भुगतान ही माध्यस्थता का विवादित विषय हो।

12.4 माध्यस्थता की कार्यवाही, विद्यमान माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम,1996 तथा समय-समय पर अधिनियमित अथवा संशोधित भारतीय कानूनों के अनुसार होगी।

12.5 माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली, भारत होगा। माध्यस्थम् की फीस एवं अन्य शुल्कों को अधिनियम के अनुसार विवाचक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे पार्टियों द्वारा बराबर बराबर वहन किया जाएगा।

12.6 विवाचक एक तर्कयुक्त तथा व्याख्यानपूर्ण निर्णय देगा। पार्टियों को माध्यस्थम् की कार्यवाही के दौरान वादकालीन ब्याज आदि पाने का अधिकार नहीं होगा।

13. <u>अनिवार्य बाध्यता(फोर्स मेज्यूर)</u>

13.1 अनिवार्य बाध्यता के कारण संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले किसी दायित्व के किसी एक पार्टी द्वारा निष्पादन न कर पाने की स्थिति में, ऐसी अनिवार्य बाध्यता (फोर्स मेज्यूर) से प्रभावित पार्टी के दायित्व को, ऐसे कारण के समाप्त होने की अवधि तक, निलंबित कर दिया जाएगा।

13.2 यहां पर प्रयुक्त शब्द 'अनिवार्य बाध्यता' (फोर्स मेज्यूर) से तात्पर्य प्राकृतिक आपदा, युद्ध, सिविल उपद्रव, आगजनी, बाढ़ तथा आरईसी एवं संविदाकार, दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकर सरकार के उन नियमों एवं विनियमों से है, जो संविदा के निष्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हों।

13.3 ऐसी घटना के होने पर तथा उसकी समाप्ति पर, उसके कारण निष्पादन करने में असमर्थता का अभिकथन करने वाली पार्टी को, अनिवार्य बाध्यता की श्रेणी में आने वाले कारण के शुरू होने पर दूसरी पार्टी को लिखित में सूचित करना होगा तथा संबंधित कारण की समाप्ति का भी नोटिस दूसरी पार्टी को ऐसी घटना की समाप्ति के 72 घंटों के अंतर्गत देना होगा। यदि अनिवार्य बाध्यता की परिस्थितियों के कारण डिलिवरियों को 2(दो) महीनों से अधिक अवधि तक निलंबित किया जाता है तो आरईसी को, बिना किसी देयता के अपने विवेक से, संविदा को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार होगा।

13.4 अनिवार्य बाध्यता के कारण निलंबित संबंधित दायित्व के निष्पादन की अवधि को, ऐसे कारण की प्रभावित अवधि के अनुसार, बढ़ा दिया जाएगा।

14 लागू कानून तथा अधिकार क्षेत्र

इससे संबद्ध सभी मामलों को, दिल्ली में भारतीय न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता के आधार पर, उस समय लागू वास्तविक तथा कार्यविधिक, दोनों को भारतीय कानून द्वारा निपटाया जाएगा।

15. किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. **आरईसी के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी कार्रवाई के आधार पर प्रभावित बोलीदाताओं को सूचित करने के किसी दायित्व के बिना अथवा प्रभावित बोलीदाता को** बिना किसी देयता के प्राप्त की गई सभी बोलियों अथवा किसी एक को अस्वीकृत करने सहित, संविदा सौंपे जाने से पूर्व किसी भी समय बोली की प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।

17. आरईसी के पास, किसी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा उससे संबंधित किसी देयता के बिना, क्रयादेश दिए जाने से पूर्व बोली प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने तथा सभी बोलियों के अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

18. दस्तावेज के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:-

श्री ए.के.अरोड़ा उप महाप्रबंधक (प्रशासन), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,	श्री जी एस बिंद्रा सहायक अधिकारी (प्रशासन), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,

नई दिल्ली-110003	नई दिल्ली-110003
दूरभाष सं0: 24366921	दूरभाष सं0: 24365161

कार्य-क्षेत्र तथा वस्तुओं की अनुमानित मांग

1. संविदाकार को स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड तथा पालिका भवन, आर.के.पुरम में आरईसी के कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा महाप्रबंधक, स्वागत-कक्ष तथा बोर्ड रूम के कार्यालयों में उपयुक्त फूलों की

आपूर्ति तथा व्यवस्था करनी होगी। फूलदानों को सप्ताह में दो बार अर्थात् सोमवार तथा बुधवार को बदला जाएगा।

2. फूलों की व्यवस्था चार प्रकार से होगी - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा स्वागत-कक्ष के लिए श्रेणी 'क', महाप्रबंधक इत्यादि के लिए श्रेणी 'ख', वीआईपी प्रसाधन-कक्षों के लिए श्रेणी 'ग' तथा वीआईपी पुष्प-गुच्छों के लिए श्रेणी 'घ'। श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अनुबंध-1

<u>श्रेणी 'क'</u>

जाइफसोफिला, एस्पारागस, गोल्डन रॉड पॉल्म आदि जैसी पत्तियों से सुसज्जित जर्बर ऑर्चिड, एसियाटिक लिली, लोटस एम.सी.ग्लैडियूलॅस, चिरायसथिमम, कार्नेशन लोटस इत्यादि जैसे विजातीय फूलों के, अकेले अथवा मिश्रित, न्यूनतम 15 पुष्प-कलश/पिन

होल्डरों/बॉस्केट (अंडाकार सहित) में ताजा फूलों की आपूर्ति करना; कलश को साफ करने तथा उसको रखने की स्थिति का निर्धारण भी प्रशासन प्रभाग के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार किया जाएगा।

श्रेणी 'ख'

एस्पारागस, थूजा, मुर्राया तथा ऐसे अन्य पौधों की पत्तियों से सुसज्जित हाइब्रिड गुलाबों, टयूब गुलाबों, ग्लैडियूलॅस तथा अन्य मौसमी फूलों जैसे मिश्रित फूलों के न्यूनतम 10 कलशों में ताजे फूलों की आपूर्ति करना/उपलब्ध कराना, कलश को साफ करने तथा उसको रखने की स्थिति का निर्धारण भी प्रशासन प्रभाग के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार किया जाएगा।

श्रेणी 'ग'

वीआईपी प्रसाधन-कक्षों के लिए एस्पारागस, थूजा, मुर्राया जैसी पत्तियों से सुसज्जित उपयुक्त फूलों की दो डंडियों सहित ताजा फूलों के छोटे पात्रों की आपूर्ति करना।

श्रेणी 'घ'

उपयुक्त पत्तियों से सुसज्जित गुलाब, कार्नेशन, लिली आदि के 40,30,20 नगों के गुलदस्ते, वीआईपी पुष्प गुच्छों, ताजा फूलों के गुच्छों की आपूर्ति करना(शनिवार, रविवार तथा सभी राजपत्रित अवकाशों सहित, आवश्यकता के आधार पर)।

3. **मांग**

श्रेणी 'क' 'ख' तथा 'ग' हेतु फूलों की व्यवस्था की अनंतिम मांग क्रमश 96, 204 तथा 48 है। श्रेणी 'घ' हेतु फूलों के गुच्छों की मात्रा को पूर्व-निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी मांग आवश्यकता पड़ने पर की जाएगी, तथापि अनुमान हेतु इसकी प्रति माह संख्या 10 हो सकती है।

अनुबंध-2

तराशे हुए ताजा फूलों की आपूर्ति - तकनीकी-वित्तीय बोली

1. **फर्म**

   क) नाम ....

ख) पंजीकृत पता ....

ग) दिल्ली/एनसीआर में कार्यालय ....
का पता

घ) संपर्क व्यक्ति का विवरण:

i) नाम व पदनाम ---
ii) पता ---
iii) दूरभाष: लैंडलाइन-------------------मोबाइल------------------------
iv) ई-मेल आईडी ---

2. फर्म की किस्म:मालिकाना/साझेदारी/प्रा.लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/सहकारी/एनजीओ/पीएसयू

(कृपया पंजीकरण/दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें)

3. पैन नं. : --

(अनिवार्य: कृपया फोटोकॉपी संलग्न करें)

4. वीएटी/टीआईएन न. : --

(अधिमान्य: कृपया फोटोकॉपी संलग्न करें)

5. पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में समान कार्य का अनुभव

(पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम एक पीएसई/सरकारी विभाग सहित कम से कम पांच प्रतिष्ठित कंपनियों में समान वस्तुओं की आपूर्ति की हो)

(कृपया दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रतियां संलग्न करें)

--संलग्न है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. बयाना राशि का ब्यौरा: डीडी नं. ....दिनांक...........

राशि रूपये 5,000/- ------------------------------

द्वारा जारी(बैंक का नाम/पता)

7. अनुबंध-I में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार तराशे हुए

ताजा फूलों की आपूर्ति हेतु उद्धृत दरें

क्रमांक	वस्तु (अनुबंध-I में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार)	सर्वसमावेशी लागत प्रति फ्लॉवर पॉट /बंच (रूपये)
1.	फ्लॉवर पॉट श्रेणी-क	

2.	**फ्लॉवर पॉट श्रेणी-ख**	
3.	**फ्लॉवर पॉट श्रेणी-ग**	
4	**फ्लॉवर बंच श्रेणी-घ** 40 फूल 30 फूल 20 फूल	

मैं/हम एतद्द्वारा निविदा दस्तावेज में निहित निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता हूं/करते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम -------------------------------

पदनाम ---------------------------

मोहर: